कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

जी.ए.सी.सी. परिसर, भॅवरकुॅआ चौराहा, ए.बी.रोड़, इन्दौर

आज दिनांक 20/02/2021 को **स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजना** (जो मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है) एवं **डॉ.जी.सी. कासलीवाल मेमोरियल लेक्चर सीरिज** के अन्तर्गत "Art of Argumentation and Debate" विषय पर आयोजित किया गया । इस वेबीनार में विभिन्न स्थानों से लगभग 315 से अधिक विद्यार्थी अध्यापकगण एवं विधि से संबंधित विद्वानों ने भाग लिया एवं यू–टयूब से लगभग 250 व्यूअर जुडे । इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री बाहुल शास्त्री निर्देशक–विधिज्ञ इन्दौर ने अपने व्याख्यान में "Art of Argumentation and Debate" विषय पर विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की है। शास्त्री सर ने बताया कि एक अधिवक्ता बनने के लिये तर्क और विश्लेषण की क्षमता उसमें होनी चाहिये । समाज में अधिवक्ता एक लीडर्स की भूमिका में होता है। इसलिये वह साधारण व्यक्ति से भिन्न होता है क्योकि साधारण व्यक्ति की तार्किक क्षमता अधिवक्ता के तार्किक क्षमता से अलग होती है । अधिवक्ता जब किसी विषय पर अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करता है तो वह उस विषय पर विधिक दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करता है। अधिवक्ता है जो विधि का निर्माण भी कर सकता है । क्या इस बात से आप सहमत है ? इस विषय पर शास्त्री सर ने बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए बताया कि अनुच्छेद 21 के निर्वचन के अन्तर्गत कैसे न्यायिक सकियता को समाहित किया गया है । इसके लिये अधिवक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है । अधिवक्ता जब कोर्ट में Argument करता है और अपनी तार्किक क्षमता से न्यायाधीश को उस विषय पर सहमत कर लेता है तो न्यायाधीश अपने निर्णय में उन तार्किक विश्लेषण को समाहित करके पूर्व निर्णय के रूप में अधिवक्ता के आग्युमेंट को कानून के रूप में परिवर्तित कर देता है । इसका उदाहरण देते हुए सर ने अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत **एकान्तता के अधिकार** को एक मूल अधिकार मान लिया गया है और एम.सी. मेहता के रिट पिटीशन के Argument को इन्वायरमेन्टल ज्युरिसप्रूडेन्स के रूप में विकसित किया गया । अधिवक्ता ही है जो वर्तमान प्रचलित कानूनों में कमियों को देखते हुए और उसके सम्बन्ध में रिट याचिका दायर करके उसे असंवैधानिक घोषित करा देता है । इस सन्दर्भ में उन्होनें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 का उदाहरण दिया, जिसे कुछ दिन पूर्व ही उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवधौनिक घोषित कर दिया गया । इस मामलें में अधिवक्ताओं के द्वारा जो बहस की गई, उससे यह निष्कर्ष निकला गया कि पत्नी का प्रयोग एक वस्तु के रूप में नही किया जा सकता है क्योकि पत्नी भी जीवित व्यक्ति में

... 2 पर

शामिल है जबकि सन् 1860 से यह धारा प्रवर्तन में थी। मेनका गॉधी के केस में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 एवं अनुच्छेद 21 के निर्वचन में युक्तियुक्तता के सिद्धान्त को अपनाया गया। जिसके अन्तर्गत यह बताया गया कि कोई कानून तभी संवैधानिक होगा जब वह ऋजु, न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त होना चाहिये । ये सब परिवर्तन अधिवक्ताओं के Argument से ही संभव हुआ है। आगे उन्होंने Argument की परिभाषा को बताते हुए कहा कि जब आप प्रापर रीजगिंन और प्रापर लॉजिक के आधार पर जब किसी दूसरे व्यक्ति को कन्वेन्स कर देते है तब यह माना जाता है कि आप अपने Argument में सफल हो गये है। Argument अधिवक्ताओं के व्यवसाय की आत्मा होती है तथा Argument कोई भी अधिवक्ता बनने के पहले विधि महाविद्यालय में विभिन्न माध्यमों एवं अभ्यासों से सीखता है जैसे Moot Court, Paper Presentation, Parliamentary debate इत्यादि । अन्त में सर ने आज के व्याख्यान सत्र को खत्म करते हुए कहा कि " Debate is not whataboutery."

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय के प्राचार्य एवं स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के संरक्षक डॉ. इनामुर्रहमान द्वारा अपने अध्यक्षीय उदबोधन में "Art of Argumentation and Debate" विषय पर विद्याथियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि छात्र को संसूचना की कौशलता (Communication skill) अध्ययन, लेखन, शोध और इसके पश्चात् तार्किक रूप से प्रस्तुति केवल अभ्यास से ही आ सकती है । उन्होनें अपने उदबोधन में बताया कि कई बार जब विधि किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाती है तो अधिवक्तागण एवं न्यायाधीशगण साम्या, सद्भाव और अन्तःकरण के आधार पर न्यायप्रशासन में न्याय प्रदान करते है और इन औजार एवं तकनीकियों को केवल वही अधिवक्ता प्रयोग कर सकता है जिसके पास एक लम्बा अनुभव हो । धीरे–धीरे आप इन तकनीकियों को सीख सकते है । इस सम्बन्ध में छोटी सी घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि एक मामलें में वरिष्ठ अधिवक्ता (सर्वोच्च न्यायालय), श्री ए.के. सेन ने सर्वोच्च न्यायालय में किसी मामलें में तर्क के दौरान विरोधी पक्षकार के मामलें में Argument कर गये, उसी दौरान जब उनके जुनियर ने इस और उनका ध्यान आकर्षित किया कि श्रीमान आपने विरोधी पक्षकार के केस में बहस कर डाली । इस पर तुरन्त हाजिर जवाबी के साथ बहस करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमान विरोधी पक्षकार की इस मामले से संबंधित यह सबसे अच्छी बहस हो सकती है और उसके पश्चात् उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकार के मामलें में बहस करते हुए एक–एक करके सभी Argument ध्वस्त कर दिये। यह एक कला है जो अनुभव एवं अध्ययन से आती है । विधि व्यवसाय के क्षेत्र में

... 3 पर

अपना केरियर बनाने के लिये विद्यार्थियों को सबसे पहले अपनी तार्किक क्षमता को विकसित करना चाहिये । यह तार्किक क्षमता विद्यार्थी विधि महाविद्यालयों में संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में सीखते है । Argumentation के सम्बन्ध में प्राचार्य ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले को उद्धरित करते हुए कहा कि इस केस में नानी पालकीवाला ने जब बहस की तो बहस का स्तर इतना कौशलपूर्ण था कि सामने बैठे हुए न्यायाधीश ने कहा कि आज लगता है कि ईश्वर खुद जमीन पर आकर बहस कर रहा है । अन्त में उन्होंने अपने उदबोधन में छात्रों से किसी भी मामले में गहराई से तथ्यों, उससे संबंधित विधि एवं निर्णित विधिशास्त्र आदि का अध्ययन करते हुए अपने तर्को को अन्तिम रूप देने के लिये अपील की ।

इस कार्यक्रम के अन्त में आभार प्रो. विपिन कुमार मिश्रा द्वारा व्यक्त किया गया तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की सदस्या एवं प्लेसमेंट अधिकारी श्वेता जैन एवं सदस्य प्रो. सुहैल अहमद वाणी तथा तकनीकी सहायक श्री राजेश वर्मा और श्री शंभु मेहता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा । इस कार्यक्रम का संचालन बी.ए.एलएल.बी. पंचम सेमेस्टर की छात्रा अनम बेग एवं गुलनिशा खानम के द्वारा किया गया ।

20/2/2017

डॉ. इनामुर्रहमान
प्राचार्य
शा. नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर